



दहेज और धूम-धाम की
आदिवाँ न होने दें

---ब्रह्मवर्चस्

: BOOK MADE AVAILABLE FOR DIGITIZATION BY :

SHRI SANDIPBHAI PATEL,
MOHADEL, GUJARAT, INDIA

: OUR MAIN CENTERS :

Shantikunj, Haridwar,
Uttaranchal, India – 249411
Phone no : 91-1334- 260602,
Website : www.awgp.org
E-mail : shantikunj@awgp.org

Gayatri Tapobhumi,
Mathura, U.P., India – 281003
Phone no : 91-0565-2530128,
Website : www.awgp.org
E-mail : yugnirman@awgp.org

: BOOK DIGITIZED BY :

Vicharkranti Pustakalay, Thana-Faliya, Dindoligam, Surat-394210, Gujarat, India
E-mail: vicharkranti.awgp@gmail.com | Website : www.vicharkrantibooks.org

दहेज और धूम-धाम की शादियाँ न होने दें



दुष्टताएँ इतनी भोली-भाली नहीं होतीं कि प्रार्थना करने भर से ही अपना बोरया-बिस्तर समेट लें। वे लालच और अहंकार पर निर्भर होती हैं। अनीति का चस्का ऐसा बुरा है कि समुचित दबाव पड़े बिना वह छूटता नहीं। शराबियों-जुआरियों की आदतें जेल में बन्द होने पर विवश होकर छूट जाती हैं। दण्ड और प्रताड़ना तो बड़ी बात है। साधारण विरोध व्यंग्य-उपहास जैसे प्रतिरोधों से भी काम चल जाता है। उसके उपरान्त ऐसा भी हो सकता है कि धीमा अथवा कड़ा संघर्ष करना पड़े। न्याय और औचित्य के पक्ष में यह अस्त्र भी काम में लाये जाने चाहिए। समझाने भर से वहाँ काम नहीं चलता, जहाँ दुष्टता को लालच और अहंकार की पूर्ति का लाभ दीखता हो, वहाँ विद्रोह और संघर्ष की सीमा तक जाकर ही अवांछनीयताओं को निरस्त किया जा सकता है।

अपने समाज में यों अनेकों कुरीतियाँ प्रचलित हैं, पर उन सब में अधिक भया-वह 'खर्चीली-शादियों' का प्रचलन है। इसमें दहेज का लेन-देन तो प्रधान है ही, इसके अतिरिक्त दिखावे में दी जाने वाली वस्तुएँ, बारात की सज-धज, कीमती ज्योनार आदि के खर्च भी ऐसे हैं, जो लगभग दहेज के बराबर ही पैसा बर्बाद कराते हैं।

बड़े आदमियों की शादियों में लाखों की, मध्यवर्ग की शादी पचास-चालीस हजार की और गरीबों की भी दस-पन्द्रह हजार की बैठती है। लड़कियों को शिक्षित बना देने पर मध्यवर्ती परिवार तो ढूँढ़ना ही पड़ता है और वह विवाह करने का अर्थ न्यूनतम पचास-चालीस हजार खर्च करना होता है। यह राशि कहाँ से जुटाई जाय—यह प्रश्न टेढ़ी खीर के समान है। जिसके यहाँ दो-तीन लड़कियाँ भी हों, उसे लाख-डेढ़ लाख की आवश्यकता पड़ेगी। इस महँगाई के जमाने में ईमादारी से कमाने वाला उतना ही अर्जित कर सकता है, जिसमें गुजारा हो सके और किसी प्रकार बच्चों को पढ़ाया भर जा सके। दक्ष की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लड़-



कियों की शादी के लिए जो अतिरिक्त पैसा चाहिए, इसका जुगाड़ बिठाने में बेईमानी, ठगी, रिश्वत जैसे तरीके ढूँढने पड़ते हैं। जिनकी आत्मा यह सब लन्द-फन्द करने के लिए सहमत नहीं होती, उन्हें महँगी ब्याज पर जहाँ-तहाँ से ऐसा कर्ज लेना पड़ता है, जिसके चुका सकने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भी न बन पड़े, तो घर के थाली-बर्तन बेचकर पहली लड़की भर के लिए किसी तरह खाई पट पाती है। बाकी दो लड़कियों के लिए तो यह संभावनाएँ भी समाप्त हो जाती हैं। लड़कियाँ बढ़ने लगती हैं और माँ-बाप चिन्ता से सूखकर कांटा होने लगते हैं। कितनी ही लड़कियाँ इस कुचक्र में कुंवारी रह जाती हैं। कई नौकरी ढूँढ लेती हैं। कई माता-पिता को चिन्ता मुक्त करने के लिए आत्माघात जैसे तरीके अपनाती हैं।

देखा जाय कि धूम-धाम वाली—दहेज ठहराव वाली—शादियाँ क्या आवश्यक हैं? इस संदर्भ में समस्त संसार पर दृष्टिपात करना होगा। कहीं भी ऐसा प्रचलन न मिलेगा, जहाँ इस प्रकार का आडम्बर रचा जाता हो और लड़की देने वाले के प्रति कृतज्ञ होने की अपेक्षा उससे उल्टे दहेज वसूल किया जाता हो। अपने देश में भी ईसाई, मुसलमान, जैन, सिख आदि में भी ऐसा रिवाज नहीं है। कहीं-कहीं इन वर्गों में पड़ोसियों की छूत लगी है अथवा नीलाम की बोली बढ़ाकर काले पैसे वाले इस तरह का ढर्रा नये सिरे से चलाते हैं।

सोचा यह जाना चाहिए कि गरीब वर्ग पर इस प्रथा के कारण कोल्हू में पिने जैसा कितना संकट टूटना है? उनकी लड़कियाँ माता-पिता की आँखों में से आँसू बरसते देखकर कितना सकुचाती हैं और अपने को अभागी मानती हैं। बाप को इस कारण बेईमानी के स्रोत खोजने पड़े, तो यह और भी बुरी बात है।

लड़के वाले भी कुछ बड़ा नफा नहीं कमा लेते। लड़कियाँ अपने घर परिवार में भी होती हैं। जितना लिया है, उसी हिमाव से उन्हें भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त धूम-धाम और प्रदर्शन का पैसा तो सर्वथा निरर्थक चला जाता है। बँण्ड-बाजा, दूल्हा को सजावट और सवारी, बरातियों को बुलाने और खिलाने का खर्चा ऐसा है, जिसे गरीबों का—अमीरों जैसा भोंड़ा स्वांग ही कहा जा सकता है। अन्य सभी फर्नीचर आदि ऐसे होते हैं, जो बेकार जगह घेरते हैं। उन्हें रखने को छोटे घरों में जगह नहीं होती। बेचने में नाक कटती है। फिर वह जहाँ-तहाँ पड़ा हुआ टूट-फूट जाती है। लड़के वाला जितना दहेज मांगता है, उसी अनुपात से उसे बधू



के लिए कीमती जेवर और रानियों जैसे कपड़े बनवाने पड़ते हैं। बारात की दावत और सजावट में ढेरों पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसी दशा में जो दहेज में वसूल किया गया था, वह ऐसे ही बेतुके ढंग से बर्बाद हो जाता है, बचा कर रखने जैसी कोई पूँजी हाथ नहीं लगती। लड़की को जो जेवर-कपड़ा मिला, वह समझी के काम नहीं आता। बेटे वाला पिस जाता है और बेटे वाला उस उपलब्धि से कुछ कमाई कर सके—बचत करके घर में जमा कर सके—ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। मात्र बदनामी का ठीकरा ही उसके सिर पर फूटता है और अपनी घर की लड़कियों के लिए उसी अनुपात से खर्च करने का बंधन-बंधता है। न कर पाने पर फिर व्यंग्य-उपहास और लानत-मलामत का बातावरण बनता है। ऐसी दशा में दूसरे बेटे वाले की जो दुर्दशा की गई थी, वही अपनी बेटियों की बारी आने पर अपनी भी होती है।

हर विवाह में जो दोनों ओर का खर्च होता है, औसतन तीस-चालीस हजार तो आँका ही जा सकता है। बड़े गृहस्थों में हर दूसरे-तीसरे साल एक शादी करनी पड़ती है। इस प्रकार इस मद में लाख से ऊपर ही पैसा बर्बाद हो जाता है। यह धन बर्बाद न हुआ होता, किसी उपयुक्त व्यवसाय में लगाया गया होता, बैंक में ही जमा कर दिया गया होता, तो वह पैसा बढ़ता और उसका लाभ दोनों पक्षों को मिलता। अब तो दोनों की ही बर्बादी और बदनामी होती है। दोनों ही गरीबी के चंगुल में फँसते हैं।

समय की माँग है कि इस विचारशीलता के युग में यह तथ्य हर किसी को हृदयंगम कराया जाय कि खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान ही नहीं, बदनाम भी कराती हैं। यह मध्यकालीन सामन्तवादी युग के जमींदार, साहूकार, लुटेरों के युग की है, जो अनाप-शनाप कमाते और आँखें बन्द करके खर्चते थे। अब परिस्थितियाँ बदल गईं। समझदारी अपनाते का तकाजा सिर पर है। सर्वत्र गरीबी और कठिनाई का दौर है। इन दिनों एक-एक पैसा संभालने और उसे फूँक-फूँक कर पैर रखते हुए-मुठ्ठी बाँधकर खर्च करने का जमाना है। इसलिए वह रास्ता निकालना चाहिए, जिससे खर्चीली शादियों की—दहेज ठहराव की—लानत से बचा जा सके।



मनुष्य की आदत अनुकरण प्रिय है। अन्धी भेड़ों की तरह एक के पीछे दूसरे को चलते देखा जा सकता है। खर्चीली शादियों के सम्बन्ध में भी यही हुआ और हो रहा है। इस कुचक्र को कहीं से तो तोड़ना ही पड़ेगा। आदर्शवादी उदाहरण किन्हीं को तो उपस्थित करने ही होंगे। कुरीतियों और मूढ़ताओं से किन्हीं को तो संघर्ष करना ही होगा। यह कार्य प्रज्ञा-परिजनों को अपने कंधे पर उठाना चाहिए और संघर्ष छेड़ने में अपने को भी चोट लगने का, जोखिम उठाना पड़ता है, उसके लिए साहस जुटाना चाहिए।

प्रगतिशीलता अपनाने और सुधार-परिवर्तन के श्री गणेश करने का संकल्प लिया गया है। इसलिए उन्हीं के जिम्मे यह काम भी आता है कि कुरीतियों में सबसे निन्दनीय और हानिकारक, खर्चीले विवाहों की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए अपने घरों से शुभारम्भ करें और किसी दूसरे के आगे बढ़ने, साथ देने की प्रतीक्षा किये बिना, स्वयं ही इस दशा में अपने कदम बढ़ायें।

प्रज्ञा परिवार के वयस्क नर-नारियों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपने लड़के-लड़कियों की शादियाँ सर्वथा बिना खर्च के करेंगे। अपना गायत्री परिवार अब इतना बड़ा हो गया है कि उममें इसी विचार के दोनों पक्ष मिल सकते हैं। यहाँ इतना और सुधार करने की आवश्यकता है कि उपजातियों का बन्धन तो निश्चित रूप से ढीला किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों की ब्राह्मण मात्र में, क्षत्रियों की क्षत्रिय मात्र में, कायस्थों की कायस्थ मात्र में, इसी प्रकार अन्य जातियों में भी उपजातियों का बन्धन न रहे, तो उपयुक्त लड़के-लड़की तलाश करने में आधी कठिनाई तो सहज ही दूर हो सकती है। छोटी उपजातियों में थोड़े से सुयोग्य लड़के होते हैं और उनकी बोली मँहगी बढ़ती जाती है। यदि ढूँढ़ने का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाए, तो अपने अनुरूप संबंध तलाश करने में बहुत सुविधा हो सकती है और समस्या का एक बड़ा पक्ष हल हो सकता है।

आदर्श विवाहों का रूप यह है कि निजी परिवार के न्यूनतम—दस के लगभग व्यक्ति ही बारात में जायें। बाहर के किसी संबंधी, यार-दोस्त को उसमें न ले जाया जाय। वधू के घर आने पर उसके हाथ का बनाया-परोना भोजन खाने के लिए अपने मित्र-संबंधियों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया जा सकता है।



विवाह के अवसर पर दोनों ओर से कोई दिखावे की चीज न तो ली जाय, न दी जाय। बेटे की ओर से जेवर या रानियों जैसे कपड़े चढ़ाने की कतई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बेटे वाले की ओर से चित्र-विचित्र फर्नीचर कपड़े, या नकदी देने की कोई आवश्यकता न समझी जाय। अधिक से अधिक इतना तो हो सकता है कि दोनों की ओर से लड़की-लड़के के सामान्य कीमत के कपड़ों का आदान-प्रदान कर दिया जाय। जेवर के नाम पर दोनों ओर से एक-एक अँगूठी भर दी जाय। बारात एक दिन रुके और दूसरे या तीसरे दिन बिदा हो जाय।

अपने यहाँ इसके विरोध-उपहास का झंझट हो तो, दोनों पक्ष शांतिकुञ्ज, हरिद्वार चले आवें और यहाँ के दिव्य वातावरण में शास्त्रीय विधि से शादी करा के ले जाय। इसमें किसी साधन—सामग्री के समेटने—बटोरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह में जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, उन सब का यहाँ प्रबन्ध है।

बिना खर्च, प्रदर्शन दहेज की शादियाँ करने की प्रतिज्ञा का हमें हृदयपूर्वक निर्वाह करना चाहिए। प्रतिज्ञा ऐसी ढीली-पोली न होनी चाहिए कि मित्र-कुटुम्बियों संबंधियों के विरोध करने पर उसे तोड़ दिया जाय। भले ही उपयुक्त जोड़ा मिलने में देर लगे, इसके लिए धैर्य रखा जाय और विवाह संबंध उन्हीं परिवारों के साथ जोड़ा जाय, जिनमें आदर्शवाद की लहर पहुँच चुकी हो।

अपने सम्पर्क में भी यह विचार धारा पहुँचनी चाहिए और यह भी निश्चित करना चाहिए कि उन्हीं शादियों में सम्मिलित हुआ जायेगा, जिनमें उपरोक्त आदर्श अपनाया गया है। जहाँ पुराने दर्जे की हो धूम-शाम, लेन-देन ही रहा हो, उनमें सम्मिलित नहीं हुआ जाय, भले ही वह अपने कुटुम्बी या सम्बन्धी के यहाँ ही क्यों न हो रही हो।

स्कूलों—कालेजों में लड़की—लड़कों तक यह प्रचार किया जाना चाहिए। उन्हें इस सन्दर्भ का साहित्य पढ़ाना चाहिए और इस कारण होने वाले अनर्थों का विवरण अखबारों में से कटिंग काटकर सुनाना चाहिए।

जो लड़के-लड़कियाँ सहमत हों, उनसे प्रतिज्ञा-पत्र भराने चाहिए कि विवाह आदर्श परम्परा के अनुरूप ही करेंगे। परिवार के लोग यदि इससे असहमत होंगे, तो बिना विवाह के रहेंगे, पर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे नहीं। अपने इस निश्चय की



जानकारी उनके अभिभावकों को भी दे देनी चाहिए, ताकि वे कहीं बात चलाकर पीछे बात को लौटाने में अपनी तौहीन न समझें। स्कूल-कालेजों के अतिरिक्त भी जहाँ कहीं अविवाहित मिलें, वहाँ उनसे भी यही प्रतिज्ञाएँ करानी चाहिए। साथ ही उपयुक्त जोड़े मिलाने में, उपयुक्त समय पर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। हर क्षेत्र में ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले अभिभावकों एवम् युवक-युवतियों की लिस्ट भी हर शाखा-संगठन को रखनी चाहिए।

एक अच्छा तरीका सामूहिक विवाहों का भी है। गायत्री यज्ञ, युग निर्माण सम्मेलन के साथ सामूहिक विवाहों की योजना भी बनायी जाय। अभिभावकों के साहस को सराहा जाय और अन्य लोगों को भी यही परिपाटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। संभव हो तो वर-वधुओं के जोड़े सवारियों पर बिटाहर नगर में उपस्थित जनता समेत जुलूस निकाला जाय, किन्तु स्मरण रहे कि इन सामूहिक विवाह आयोजनों में बालविवाहों को प्रोत्साहन न दिया जाय। कुछ समय पूर्व भारत सरकार यह एकट पास कर चुकी है कि १८ वर्ष से कम की लड़की और २१ वर्ष से कम के लड़के का विवाह करना दंडनीय है। ऐसा करने पर दोनों पक्ष के अभिभावक और विवाह कृत्य कराने वाले पंडित जेल जा सकते हैं। अपने मंच से बाल-विवाहों का समर्थन नहीं होना चाहिए। एक अच्छाई—दूसरी बुराई मिला देने पर यह प्रयत्न गुड़-गोबर मिला देने की तरह सर्वथा निरर्थक ही हो जाता है। दहेज के कारण होने वाली हानियों से बाल विवाह की हानि किसी प्रकार कम नहीं है। ऐसे आयोजनों से प्रोत्साहित होने वाले बगले सम्बन्ध में परिवारित लोगों के बीच जुड़ जाते हैं।

बिहार में मंथिल ब्रह्मणों का एक बड़ा मेला ऐसा भी होता है, जिसमें अभिभावक अपने लड़के-लड़कियों को लेकर पहुँचते हैं और अपने उपयुक्त संबन्धों की ढूँढ खोज का काम उस अवसर पर सरल बना लेते हैं। गायत्री परिवार के क्षेत्रीय बड़े आयोजनों में इस प्रकार का प्रचलन भी करना चाहिए। ढूँढ-खोज में सरलता हो जाना भी एक बड़ी बात है।

आवश्यकता इस बात की है कि खर्चीली शादियों की हानियों से जन-जन को अवगत कराया जाय और कहा जाय कि इस आधार पर होने वाले सम्बन्धों में कन्या पक्ष अपने ऊपर तेल पेंनने जैसे दबाव भरे अत्याचार को कभी भूलना नहीं। संबं-



धियों के बीच जो प्रेम भाव बनना चाहिए, वह आजीवन बनता ही नहीं। लड़कियाँ भी समझदार होती हैं, उनके मन में भी यह धाव बना रहता है कि सुसराल पक्ष ने उसके अभिभावकों को किस प्रकार त्रास दिया और निचोड़ा है। इस धाव के कारण वह सुसराल वालों की मन से सेवा भी नहीं कर पाती विवाह की धू-धाम तो, दो-चार दिन में समाप्त हो जाती है, पर उसके कारण हुई घर की बर्बादी आजीवन याद बनी रहती है और वह खाई लम्बे समय तक पटती नहीं। विवाह का उद्देश्य दो परिवार में घनिष्ठ-आत्मीयता का—सम्बन्ध जोड़ना है, पति-पत्नी के बीच श्रद्धा और सहानुभूति उत्पन्न करना है, पर जहाँ दहेज के नाम पर नीलामी होती है, वहाँ बाहर से शिष्टाचार बरता जाने पर भी, भीतर ही भीतर धुणा और तिरस्कार बना रहता है। इसके रहते न घर-वधू में आत्मीयता पनपती है और न दो कुटुम्ब परस्पर सुख-दुख के साथी होने की आशा करते हैं। दहेज के नाम पर लड़का बेचा जाना हो तो फिर उसे बँल की तरह सुसराल ही जाकर रहना चाहिए और उन्हीं लोगों का काम-धन्धा करना चाहिए। न्याय की दृष्टि से सोचा जाय तो, लड़की वाले दहेज मांगे तो उसके पीछे कोई तर्क तथा औचित्य भी है। पर लड़के वाले दहेज मांगे, इसका तो कोई न्यायोचित कारण भी समझ में नहीं आता।

इस सन्दर्भ में एक महाभारत स्तर का संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें कुटुम्बियों और संबंधियों का ख्याल किये बिना भगवान कृष्ण ने पांडव-कीरवों को नीति-अनीति के प्रश्न पर आपस में लड़ा दिया था। मीरा के एक पत्र का उत्तर देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा था—

पिता तज्यो प्रह्लाद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी।

गुरुबलि तज्यो, कन्त ब्रजबनितन, भये मुद मङ्गलकारी ॥

इसका अर्थ है कि नीति-अनीति के प्रश्न पर कुटुम्बी-संबंधियों के अभिमत की उपेक्षा की जा सकती और उनके आग्रह-परामर्श की अवमानना की जा सकती है। प्रज्ञा परिवार में छोटे-बड़े सभी को खर्चीली शायदियों के सम्बन्ध में ऐसा ही रख अपनाना चाहिए, अनीति के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। (६)

क्रमांक-२३२ । युगान्तर चेतना प्रेस-शांतिकुञ्ज, हरिद्वार । मूल्य-४० पैसे